I/2176/2024

सत्यमेव जयते

संख्या :2176/जी0एस0(शिक्षा)/A11-205(1)/2024

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय,
बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय : उत्तराखण्ड　　　　देहरादून दिनांक 27 अगस्त, 2024

महोदय,

कृपया श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय द्वारा एफिलिएशन पोर्टल पर प्रेषित प्रस्ताव, पंजीकरण क्रमांक 240422021007 दिनांक 29.05.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें राजकीय व्यावसायिक महाविद्यालय बनास (पैठाणी), पौड़ी गढ़वाल को बी0एससी0(कम्प्यूटर साइंस), बी0एससी0(फूड टैक्नोलॉजी), बी0एससी0(नॉन–कॉन्वेशनल एनर्जी), बी0बी0ए0 एवं बी0सी0ए0 पाठ्यक्रमों में शैक्षिक सत्र 2024–25 हेतु नवीन अस्थाई सम्बद्धता प्रस्ताव संस्तुति सहित इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2– उक्त सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल की आख्या, कुलसचिव एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम–2011 (यथा संशोधित) के अध्याय–06 की धारा–33(1) के अन्तर्गत संस्थान को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रमों, सीटों एवं अवधि हेतु नवीन अस्थाई सम्बद्धता प्रस्ताव पर मा0 कुलाधिपति द्वारा निम्न उपबन्धों के साथ अनुमोदन/स्वीकृति प्रदान की गई है :–

क्रमांक	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	स्वीकृति सीटों की संख्या	नवीन अस्थायी सम्बद्धता की अवधि।
1	2	3	4	5
01	राजकीय व्यावसायिक महाविद्यालय बनास (पैठाणी), पौड़ी गढ़वाल।	**बी0एससी0** (कम्प्यूटर साइंस)	40 सीट	2024-25
		बी0एससी0 (फूड टैक्नोलॉजी)	40 सीट	
		बी0एससी0 (नॉन–कॉन्वेशनल एनर्जी)	40 सीट	

- निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, U.G.C विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्रवाई करें व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्रवाई की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ 02 माह में उपलब्ध करायें।
- महाविद्यालय में भवन एवं पुस्तकें मानकानुसार पूर्ण कराने का दायित्व विश्वविद्यालय का होगा, यदि किसी भी मानक के अपूर्ण होने के कारण छात्रों के हित प्रभावित होते हैं तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

Generated from eOffice by MANJEET SINGH, RO-MS, REVIEW OFFICER, Rajbhawan on 29/08/2024 01:23 pm

I/2176/2024

- महाविद्यालय, यू0जी0सी0 विनियम 2009 के उपनियम 3.4.7 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार सम्बद्धता प्राप्ति के तीन माह के भीतर विश्वविद्यालय से फैकल्टी का अनुमोदन प्राप्त करेगा।
- महाविद्यालय को बी0एससी0(कम्प्यूटर साइंस), बी0एससी0(फूड टैक्नोलॉजी), बी0एससी0(नॉन–कॉन्वेशनल एनर्जी) पाठ्यक्रमों में उक्तानुसार सम्बद्धता स्वीकृति प्रदान की जा रही है। महाविद्यालय बी0बी0ए0 एवं बी0सी0ए0 के संचालन हेतु ए0आई0सी0टी0ई0 से अनुमोदन प्राप्त करते हुए तत्सम्बन्धी अभिलेखों सहित बी0बी0ए0 एवं बी0सी0ए0 पाठ्यक्रमों में शैक्षिक सत्र 2024–25 हेतु नवीन अस्थायी सम्बद्धता प्रस्ताव एफिलिएशन पोर्टल पर पृथक से आई0डी0 बनाते हुए प्रेषित करना सुनिश्चित करेगा।
- अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव U.G.C विनियम/नियामक संस्था एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार्य होंगे अन्यथा की स्थिति अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसका पूर्ण दायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

Signed by Ravinath Raman
Date: 27-08-2024 15:41:21

भवदीय,

(रविनाथ रामन)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या : 2176 /जी0एस0(शिक्षा)/**A11-205(1)**/2024 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्रबन्धक/प्राचार्य– सम्बन्धित संस्थान।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(स्वाति एस0 भदौरिया)
कुलाधिपति के अपर सचिव।

Generated from eOffice by MANJEET SINGH, RO-MS, REVIEW OFFICER, Rajbhawan on 29/08/2024 01:23 pm